



# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में  
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

सूचना का  
अधिकार

क्र०/तक०/ 1814  
प्रति,

सिंगरौली, दिनांक... 13-03-2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
(भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

**विषय:-** वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न आर.एफ. वन कक्षों के रकवा 1335.35 हे० वनभूमि तथा विभिन्न खसराओं की रकवा 62.19 हे० राजस्व वनभूमि कुल 1397.54 हे० वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेज प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021

**संदर्भ:-** (i) आपका पृष्ठा. क्रमांक/एफ-1/845/2022/10-11/847 भोपाल दिनांक 06.02.2024  
(ii) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-01/2024-एफसी दिनांक 02.02.2024  
(iii) प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का पत्र दिनांक 11.03.2024

-000-

विषयांतर्गत अनुरोध है कि वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत रकवा 1335.35 हे० एवं राजस्व वन भूमि रकवा 62.19 हे० कुल रकवा 1397.54 हे० भूमि मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड का सिंगरौली जिला के सरई तहसील में आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाईन प्रस्तावित है।

संदर्भित पत्र (i) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा प्रस्तावित परियोजना में 15 बिन्दुओं की जानकारी चाहीं गयी है।

संदर्भित पत्र (iii) से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल द्वारा चाही गयी 15 बिन्दुओं की जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त कर टेबुलर फार्म में दो प्रतियों में मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

**संलग्न:-** उपरोक्तानुसार।

पृ० क्रमांक/तक०/ 1815

प्रतिलिपि -

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. प्राधिकृत अधिकारी स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक... 13-03-2024

वन मण्डल अधिकारी  
वन मण्डल सिंगरौली

**Draft Reply from SMRPL to DFO Singrauli regarding the EDS raised for Dhirauli Coal Block**

Sl.No	EDS Query	Draft Reply
1	<p>Calculated area of Shape file/ KML file of Forest land proposed for diversion within the mining lease is found 1601.058 Ha (software calculated). However, instant proposal has been submitted for diversion of 1397.54 ha forest land only.</p>	<p>The total mining lease area of this project is 2672 Ha, out of which 1397.54 Ha is Forest land and 1274.46 Ha is non-forest land. By mistake the few patches of non-forest (revenue land) has been included in the KML of Forest land. These revenue patches have been removed and modified KML file has been uploaded in Form-A (Part-1) of this proposal.</p>
2	<p>The Sanjay Dubri Wildlife Sanctuary is located at a distance of 10.07 Km from the proposed forest land for diversion. Moreover, the State Govt. informed that the proposed area is falling within the 1 km of the elephant corridor as per the prevailing working plan for the period 2019-20 to 2028-29. Further, movement of leopard (Tendua) reported in the SIR of the DFO, Singrauli. Therefore, the comments from CWLW along with proposed mitigation measures need submission.</p>	<p>The closest Protected area to the Dhirauli coal block is Sanjar Tiger Reserve, and which is at more than 10 km. Thus, no wildlife clearance is required as per guidelines. Although, the proposed forest area is more than 10 km from Protected Area, but we have prepared a wildlife management plan, which is duly approved by CWLW. The copy of the approval granted by CWLW is enclosed and uploaded in Part-1 Additional Information Section at Serial no.21.</p> <p>Elephant corridor is outside the proposed forest area of the Dhirauli coal block and the minimum distance of the block is 5 KM from the elephant corridor as per the new working plan of Singrauli forest division. Working plan of Singrauli forest Division is attached)</p>



Sl.No	EDS Query	Draft Reply
		<p>3. The wildlife conservation and management plan prescribe the "Man-leopard conflict mitigation measures and other habitat conservation measures". These measures have been prescribed as per the MoEF&amp;CC guidelines for dealing with Man-leopard conflict (reference: moef.nic.in/downloads/public-informat. Accessed on, 01-08-2011). The guidelines suggest a three-pronged strategy to deal with man-leopard conflict as a means to their conservation:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Awareness generation among local communities, media and officials of various departments.</li> <li>ii. Establish trained teams at two levels: the primary response team and the emergency response team, and</li> <li>iii. Use of latest technology and scientific know-how to improve efficacy of capture, handling, care, and translocation of the animal.</li> </ul> <p>In addition to this, we are ready to accept any other condition imposed by MoEF or CWLW in this regard.</p>
3	<p>The proposed forest land is having density of forests ranging from 0.4 to 0.6 density wherein 5,70,666 no. of trees are estimated to be affected from the proposed activities. The detail of the forest crops and diameter classes of valuable trees estimated needs to be elaborated and phase wise felling details should also be indicated</p>	<p>The species wise and diameter class wise details are already uploaded by DFO Singrauli in Part-II.</p> <p>As per mining plan, the felling will be required in the following manner. The table showing the timeline for phase wise felling is given below</p>

Sl.No	EDS Query	Draft Reply																																																												
4	<p>The method of mining has been reported in the online application as Opencast + Underground. However, the State Govt. in their reference letter has mentioned the same as open cast method of mining. The state govt shall therefore examine the same and report whether the proposal is for underground mining, open cast mining or both. The detail of area proposed for OCP and underground</p>	<p><b><u>The plantation will be taken up as part of reclamation activity, during the life of mine. This is over and above the CA plantation area @ 1000 plants/Ha over 1400 Ha CA area in non-forest land.</u></b></p> <table><thead><tr><th>Phasing of Land</th><th>Years from Start of mining operation</th><th>Forest Land (Ha)</th><th>Tentative no of tree to be felled</th><th>Tentative area for plantation after Excavation (Ha)</th><th>Tentative no of tree to be planted (1500 Plant/Ha)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Phase I</td><td>1 to 3</td><td>345.33</td><td>1,40,923</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Phase II</td><td>4 to 5</td><td>300.17</td><td>1,22,749</td><td>60</td><td>90,000</td></tr><tr><td>Phase III</td><td>6 to 10</td><td>237.06</td><td>96,605</td><td>484</td><td>7,26,000</td></tr><tr><td>Phase IV</td><td>11 to 15</td><td>136.17</td><td>55,631</td><td>227</td><td>3,40,500</td></tr><tr><td>Phase V</td><td>16 to 20</td><td>220.41</td><td>89,922</td><td>225</td><td>3,37,500</td></tr><tr><td>Phase VI</td><td>21 to 30</td><td>108.66</td><td>44,583</td><td>324</td><td>4,86,000</td></tr><tr><td>Phase VII</td><td>31 to 40</td><td>49.74</td><td>20,447</td><td>410</td><td>6,15,000</td></tr><tr><td>Final Closure</td><td></td><td>0</td><td>-</td><td>683</td><td>10,24,500</td></tr><tr><td>Total</td><td></td><td>1397.54</td><td>5,70,666</td><td>2412</td><td>36,19,500</td></tr></tbody></table> <p>In Dhirauli coal block we are having 5 seams viz VIII Top, VIII Combined, VII Top, VII Bottom , VII Combined which are at shallow depth and will be mined by Open cast working. Further we have considered 04 seams for underground working namely VI, IV , III Top and II Bottom which are more than 1.5 metres thickness . In addition to this, seam V Bottom , seam III Bottom and other seam also present which will be mined depending upon available technology.</p>	Phasing of Land	Years from Start of mining operation	Forest Land (Ha)	Tentative no of tree to be felled	Tentative area for plantation after Excavation (Ha)	Tentative no of tree to be planted (1500 Plant/Ha)	Phase I	1 to 3	345.33	1,40,923	0	0	Phase II	4 to 5	300.17	1,22,749	60	90,000	Phase III	6 to 10	237.06	96,605	484	7,26,000	Phase IV	11 to 15	136.17	55,631	227	3,40,500	Phase V	16 to 20	220.41	89,922	225	3,37,500	Phase VI	21 to 30	108.66	44,583	324	4,86,000	Phase VII	31 to 40	49.74	20,447	410	6,15,000	Final Closure		0	-	683	10,24,500	Total		1397.54	5,70,666	2412	36,19,500
Phasing of Land	Years from Start of mining operation	Forest Land (Ha)	Tentative no of tree to be felled	Tentative area for plantation after Excavation (Ha)	Tentative no of tree to be planted (1500 Plant/Ha)																																																									
Phase I	1 to 3	345.33	1,40,923	0	0																																																									
Phase II	4 to 5	300.17	1,22,749	60	90,000																																																									
Phase III	6 to 10	237.06	96,605	484	7,26,000																																																									
Phase IV	11 to 15	136.17	55,631	227	3,40,500																																																									
Phase V	16 to 20	220.41	89,922	225	3,37,500																																																									
Phase VI	21 to 30	108.66	44,583	324	4,86,000																																																									
Phase VII	31 to 40	49.74	20,447	410	6,15,000																																																									
Final Closure		0	-	683	10,24,500																																																									
Total		1397.54	5,70,666	2412	36,19,500																																																									



Sl.No	EDS Query	Draft Reply
	mining including the component wise KML file shall be submitted	<p>First, open cast mining will be started and It will cover the entire Dhirauli mining block area. Subsequently, Underground mining is proposed in deeper seams below Opencast workings that may start almost a decade later.</p> <p>Thus, the area under opencast mining and underground mining is fully overlapping.</p> <p>The component wise breakdown of land is given in section 2.4 of Form-A (Part-1) and KML is also uploaded in Parivesh portal.</p>
5	<p>As per DSS analysis the proposed area is falling in Inviolate or In High conservation zone value (HCV) with majority area falling in Very Dense Forest category. The state shall submit the justification for proposing such pristine area 8-01/2024-FC I/64348/2024 for mining. Further, keeping in view the conservation value of the area, the state shall intimate whether any impact assessment/biodiversity study taking into account the impact of mining has been carried out or not. If so the details be provided.</p>	<p>Coal is formed of forest as its basic raw material and so invariably found beneath/ in adjoining forest area. There is no denying that the said area of our concern is rich valued in forest as well as minerals content. MOC has identified coal blocks and auctioned for mining in adjoining block of Dhirauli/ singrauli coalfields to meet the growing power demand of the country. However, MOC has auctioned it not for mining but for sustainable mining. With evolved concern on sustainability and as a sustainable miner, PP has conducted studies like:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carrying Capacity,</li> <li>• Ecosystem Services,</li> <li>• Social Impact Assessment,</li> <li>• Cumulative impact assessment,</li> <li>• Subsidence study,</li> <li>• Wildlife Conservation,</li> <li>• Pond de-siltation study,</li> </ul>

Sl.No	EDS Query	Draft Reply															
		<ul style="list-style-type: none"><li>Hydrology and Hydrogeology study in the area to assess its impact with mitigative measures.</li></ul> <p>PP has prepared a robust plan under EMP/EIA (Copy enclosed) to address environmental and ecological concerns as well as to restore the forest (under JFM) as renewable resources concurrently with progress of extraction of the non-renewable mineral therein, in a sustainable manner.</p> <p>We have additionally studied the potential of carbon sequestration in Dhirauli area due to afforestation to be conducted over the area during the entire span of mining.</p>															
6	Satellite imagery and Land use plan submitted by the user agency reveals that there are five (5) transmission lines which are passing through the proposed forest land for diversion. The copy of approvals granted under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 along with NoC from concerned agencies to shift the power lines from the proposed area have not been submitted. The state shall therefore submit the copy of approvals under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan), Adhiniyam, 1980 and the copies of NOC from the concerned agencies. The state shall also intimate whether any additional forest land would be required for the shifting of transmission lines or not along with details	<p>Out of the five Transmission Lines (TL) passing through the Dhirauli Coal block, four Transmission Lines belong to PGCIL and one belong to MPPTCL.</p> <p><b>A. <u>MPPTCL 132KV Transmission Line:</u></b> The MPPTCL TL is already diverted (FP/MP/TRANS/155291/2022; 21.372 Ha), and final approval for shifting the line was granted by MoEF on 22.01.2024. The copy of the approval letter is enclosed. The 132KV line was first constructed in the year 1969.</p> <p><b>B. <u>PGCIL Transmission Lines:</u></b></p> <table><tr><th colspan="5">Details of FC Granted of the four existing PGCIL Lines</th></tr><tr><th>Sl. No</th><th>Description of Transmission Line</th><th>Area Diverted (Ha)</th><th>Proposal Number</th><th>Date of grant at Stage-I/II from MoEF</th></tr><tr><td>1</td><td>Diversion of 114.724 Ha of forest land for route alignment of 765 KV s/c Sasan-Satna CK in Favor of Power Grid Corporation Of India</td><td>114.724</td><td>FP/MP/TRANS/986/2011</td><td>Stage-II Granted: 26.10.2012</td></tr></table>	Details of FC Granted of the four existing PGCIL Lines					Sl. No	Description of Transmission Line	Area Diverted (Ha)	Proposal Number	Date of grant at Stage-I/II from MoEF	1	Diversion of 114.724 Ha of forest land for route alignment of 765 KV s/c Sasan-Satna CK in Favor of Power Grid Corporation Of India	114.724	FP/MP/TRANS/986/2011	Stage-II Granted: 26.10.2012
Details of FC Granted of the four existing PGCIL Lines																	
Sl. No	Description of Transmission Line	Area Diverted (Ha)	Proposal Number	Date of grant at Stage-I/II from MoEF													
1	Diversion of 114.724 Ha of forest land for route alignment of 765 KV s/c Sasan-Satna CK in Favor of Power Grid Corporation Of India	114.724	FP/MP/TRANS/986/2011	Stage-II Granted: 26.10.2012													



Sl.No	EDS Query	Draft Reply			
		Ltd. in District Singrauli, Sidhi and Satna, Madhya Pradesh			
		Diversion of 128.553 Ha of forest land for construction of 765 KV S/C Singrauli-Sidhi-Satna Transmission line in favour of M/S Power Grid Corporation Of India Ltd, Madhya Pradesh.	128.553	FP/MP/TRANS/3214/2011	Stage-II Granted: 07.03.2013
		765 KV DC Vindhychal Pooling to Jabalpur Pooling Transmission Line	241.0995	FP/MP/TRANS/17449/2016	Stage-II Granted: 18.09.2020
		Diversion of 204.356 ha of forest land in favour of M/s Power Grid Corporation Limited for construction of 765 KV Vindhychal Poling Station to Satna Circuit-II Transmission Line in Satna, Singrauli, Katni and Sahdol districts, Madhya Pradesh.	204.356	FP/MP/TRANS/2914/2013	Stage-II Granted: 31.12.2014

For the PGCL Lines, a feasibility study was conducted to identify new alignments for shifting (re-diversion) of the Transmission lines. In this regard, PGCL wrote to Ministry of Coal, Ref letter: WRTS-II/ENGG/Stratech Mineral Resources Pvt. Ltd/Diversion/607 dated 21.06.2021. The said letter is enclosed and uploaded as annexure of Form-A (Part-

Sl.No	EDS Query	Draft Reply
		<p>1) in Parivesh portal. The proposal for shifting (re-diversion) of the four existing lines of PGCIL is under process.</p> <p>These Transmission lines will be shifted before the operation reaches close to safety distance from the TL. THDC has recently diverted Powergrid TL in the Ameelia Coal Block (in Singrauli Division).</p> <p>The tentative area that is currently being used by the four PGCIL lines is 61 Ha of forest land (inside Dhirauli Coal block). For shifting these Transmission lines outside of Dhirauli Coal Block, additional forest land will be required.</p>
7	<p>Presence of water bodies like Nala/ Tributary are also visible in the proposed forest land. The state shall submit the detail of mitigation measures in this regard along with the NoC/permission from the concerned department.</p>	<p>The project proponent has prepared "Hydrology Report" for management of Nala tributaries in &amp; around Dhirauli Coal Block. The DPR has been approved by WRD vide Memo no. 2512/GW/MP/1-48 of 22 dated 19.04.2022. The copy of the NOC from WRD for Nalla diversion is uploaded in parivesh portal as an annexure document.</p>
8	<p>The proposal involves diversion of 1397.54 ha forest land out of which 225.4 ha has been proposed for external dumping and 6.3 ha has been earmarked for infrastructure which are non-site specific. The details of total overburden area in the proposal involving both forest as well as non forest land has not been submitted, which is required to be done. The state shall also explore the possibility of shifting of these components on non-forest land.</p>	<p><b>A. Justification for using 225.4 Ha Forest land for External Dump (OB):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dhirauli Coal block has been envisaged as Combination of both, Opencast and Underground mine. Dhirauli OC coal mine is very high strip ratio (10.55 Cum/t) mine and to extract 186.06 Mt coal, 1963.55 MBCM OB shall be removed.</li> <li>2. The OB dump area is combination of Private, Govt and Forest Land and is the only available land inside the Dhirauli block for dumping Overburden (OB).</li> <li>3. After optimization (including rehandling of the OB), the revised forest area required for External dump is 132.28 Ha.</li> <li>4. The revised component wise KML is attached and also uploaded in Form-A (Part-1) in Parivesh portal.</li> </ol> <p><b>B. Justification for using 6.3 Ha forest land for Infrastructure</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. We have now re-planned the infrastructure locations inside the block, and all the infrastructure components will be in the non-forest land.</li> <li>C. The revised component wise breakdown of land is given below.</li> </ol>



Sl.No	EDS Query	Draft Reply																																																																		
		<table><tr><th rowspan="2">Sl No</th><th rowspan="2">Component Name</th><th colspan="2">Area inside (in Ha)</th><th rowspan="2">Total Area (Ha.)</th></tr><tr><th>Forest</th><th>Non-Forest</th></tr><tr><td>1</td><td>Excavation Area</td><td>1180.14</td><td>1028.09</td><td>2208.23</td></tr><tr><td>2</td><td>Safety Zone</td><td>10.46</td><td>9.61</td><td>20.07</td></tr><tr><td>3</td><td>Green Belt Area</td><td>30.97</td><td>15.49</td><td>46.46</td></tr><tr><td>4</td><td>Rationalization Area</td><td>33.31</td><td>38.93</td><td>72.24</td></tr><tr><td>5</td><td>Infrastructure Area</td><td>0.00</td><td>24.16</td><td>24.16</td></tr><tr><td>6</td><td>OB Dump Area</td><td>132.28</td><td>149.39</td><td>281.67</td></tr><tr><td>7</td><td>Other uses (Garland Drains)</td><td>2.75</td><td>2.59</td><td>5.34</td></tr><tr><td>8</td><td>Other uses (Road Diversion)</td><td>2.56</td><td>1.51</td><td>4.07</td></tr><tr><td>9</td><td>Other uses (Embankment)</td><td>5.07</td><td>2.43</td><td>7.50</td></tr><tr><td>10</td><td>Other uses (Setting Pond)</td><td>0</td><td>2.26</td><td>2.26</td></tr><tr><td colspan="2">Total Area</td><td>1397.54</td><td>1274.46</td><td>2672.00</td></tr></table>	Sl No	Component Name	Area inside (in Ha)		Total Area (Ha.)	Forest	Non-Forest	1	Excavation Area	1180.14	1028.09	2208.23	2	Safety Zone	10.46	9.61	20.07	3	Green Belt Area	30.97	15.49	46.46	4	Rationalization Area	33.31	38.93	72.24	5	Infrastructure Area	0.00	24.16	24.16	6	OB Dump Area	132.28	149.39	281.67	7	Other uses (Garland Drains)	2.75	2.59	5.34	8	Other uses (Road Diversion)	2.56	1.51	4.07	9	Other uses (Embankment)	5.07	2.43	7.50	10	Other uses (Setting Pond)	0	2.26	2.26	Total Area		1397.54	1274.46	2672.00	<p>The appropriate term (as per mining plan) for the undisturbed area component is Rationalized area, these are scattered small patches inside the mining area. These scattered patches shall be used for miscellaneous activities including plantation. The total Rationalized area is 72.24 Ha. Out of 72.24 ha, forest land is 33.31 Ha and the balance area (38.93 Ha) will be in non-forest area.</p>			
Sl No	Component Name	Area inside (in Ha)			Total Area (Ha.)																																																															
		Forest	Non-Forest																																																																	
1	Excavation Area	1180.14	1028.09	2208.23																																																																
2	Safety Zone	10.46	9.61	20.07																																																																
3	Green Belt Area	30.97	15.49	46.46																																																																
4	Rationalization Area	33.31	38.93	72.24																																																																
5	Infrastructure Area	0.00	24.16	24.16																																																																
6	OB Dump Area	132.28	149.39	281.67																																																																
7	Other uses (Garland Drains)	2.75	2.59	5.34																																																																
8	Other uses (Road Diversion)	2.56	1.51	4.07																																																																
9	Other uses (Embankment)	5.07	2.43	7.50																																																																
10	Other uses (Setting Pond)	0	2.26	2.26																																																																
Total Area		1397.54	1274.46	2672.00																																																																
9	As per the component wise breakup an area of 67.11 ha is designated as undisturbed area. The purpose and reason for including the same in the instant proposal has not been submitted																																																																			
10	Compensatory Afforestation has been proposed in total 45 patches comprising an area of 1397.523 ha wherein two CA patches namely Village Imlipura, Khasra No 2 and 19, Shivpuri District are falling in the Forest compartment boundary as per DSS analysis. Moreover, these two patches are also located in Tiger corridor. The state shall examine the matter and ensure to provide NFL for CA as per guidelines. The CA sites namely Village - Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103),	<p><b>A. Regarding CA patches in village Imlipura (Khasra no 2 &amp; 19).</b></p> <p>1. DFO Shivpuri provided the site suitability certificate stating that based on ground report and forest compartment maps, the said khasras (no 2 &amp; 19) are outside the forest compartment boundary.</p> <p>2. District Collector Shivpuri also provided a letter stating that the said khasras are revenue land and a No Objection Letter (NOC) to transfer the land to Forest Dept. for CA purpose has been obtained. The NOC and Khasra P-II are enclosed and uploaded as annexure in Form-A (Part-1)</p> <p><b>B. Regarding the CA sites in village Dhandheda Kanad (Kh No 102,80,139,103). Village - Raipurva (Kh No 78, 128 and 105)</b></p>																																																																		

Sl.No	EDS Query	Draft Reply
	<p>Village - Raipuria (Kh No 78, 128 and 105) are located on the earthen dam, which may not be suitable for raising CA and the land may not be free from all encumbrances. Further, the documentary evidence of proposed CA site namely Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District revealed that the ownership of land is with the Forest Department. The state shall examine the issues as above and ensure that all the CA areas are suitable, free from encumbrances and eligible for the purpose of CA as per prescribed guidelines.</p>	<p>3. DFO report indicates that the said CA patches in Dhandheda Kanad, and Raipuria are suitable for plantation and encroachment &amp; encumbrance free.</p> <p>4. In Raipuria village, in Khassra no 78, 128 and 105, for rainwater harvesting contour trenches, and small ponds were dug under PM Rojgar Yojana.</p> <p>5. In Dhandheda Kanad, due to rainwater flowing, fissures in the form of gullies got created. There are NO artificial earthen dam constructed in the proposed patches.</p> <p><b>C. Regarding CA land patch in village Village: Raghunathapura (Survey No. 3), Shivpuri District</b></p> <p>6. DFO Shivpuri got the area inspected by SDO Forest and Bairad Tehsilidhar, and the said land is Not Forest owned land. In Forest maps the proposed CA area is outside the notified forest compartment</p> <p>7. The said CA patches are encroachment and encumbrance free.</p> <p>8. The Khassra P-II from 2009 to 2024 are enclosed and also uploaded in Form-A (Part-1) of Parivesh portal.</p>
11	<p>Mode of mineral/ coal transportation route and how the requirement of electricity and water will be met has not been given in the proposal. The state shall therefore submit the detailed mineral evacuation plan along with the details as to how the requirement of electricity and water would be met. The detail of additional forest land required for the purpose (if any) shall also be submitted.</p>	<p><b>Coal Transportation Pathway:</b></p> <p>1. Coal that will be mined out from this block will be transported using the existing road of "Suliyari-Khanuakhas-Rajmilian" To Gajra behra railway siding &amp; also to the Adani Power Plant (MEL) in Bandhaura. The KML and plan of the transportation route is attached with this letter.</p> <p>2. In future a new Belt conveyor is being planned from Dhirauli Coal Block to Mahan Energen Limited (of Adani Power Ltd) in Bandhaura that will reduce load on road transport and it will help to improve environment condition.</p> <p>The note on mineral (coal) transportation pathway is enclosed and uploaded in Parivesh portal.</p> <p>Also, a map showing coal transportation pathway is enclosed, and uploaded in the parivesh portal along with KML.</p>
12	<p>In accordance with the Para 7.8(i) of Chapter 7 of the consolidated guidelines and clarification issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and Van</p>	<p>Despite having a target of achieving 50 per cent power generation through non-fossil fuel sources by 2030, India would require additional coal-fired generation capacity to meet the growth in electricity demand and ensure security of supply.</p>



Sl.No	EDS Query	Draft Reply
	(Sanrakshan evam Samvardhan) Rules, 2023, the State govt shall give the justification for the necessity of opening the new mining lease along with details.	<p>Total Coal Production of India during 2022-23 was 893.19 Mt.</p> <p>For the forecast period till 2026, the estimated Indian coal demand is likely to rise by 3.5 per cent annually to 990 Mt.</p> <p>To meet the power demand of Country, Ministry of Coal has identified several coal blocks and auctioned them as commercial coal blocks and Dhirauli was one of them.</p> <p>SMRPL (Stratatech Mineral Resource Pvt Ltd) has been allotted the Dhirauli Coal block. SMRPL company is responsible Miner and deforestation, and afforestation is planned parallelly while trying to maintain eco-system balance</p>
13	The Quantitative values on the parameters such as Cost of Human resettlement, Loss of public facilities has not be ascertained in the Cost-Benefit analysis, which is required to be done.	In the uploaded Cost-Benefit Analysis (CBA) report the Cost of human re-settlement in Forest land and loss of public facilities have been included in the Project Cost (Approved R&R Plan).
14	As per the SIR of the DFO, Singrauli Division, rights of 49 leaseholder have been 8-01/2024-FC/64348/2024 recognized in the proposed area. The state shall submit details of the same and status of R&R plan.	The total displaced families inside Dhirauli Coal block are 620 and out of which the 49 patta holders are recognized in the Dhirauli Coal block and the cost of their displacement is included in R&R plan and the R&R plan is approved by Competent Authority. The 49 Patta holders' details are uploaded in the Parvash portal (Additional Information section, Sl.no 8 & 9).
15	As per the 3-D subsidence prediction study report Maximum tensile strain reported in the proposed area is 17.47. The state shall examine the same and submit its comments in case the proposal is for underground mining only.	<p>In Dhirauli coal block we are having 5 seams viz VIII Top, VIII Combined, VII Top, VII Bottom, VII Combined which are at shallow depth and will be mined by Open cast working. Further we have considered 04 seams for underground working namely VI, IV, III Top and II Bottom which are more than 1.5 metres thickness. In addition to this, seam V Bottom, seam III Bottom and other seam also present which will be mined depending upon available technology.</p> <p>First, open cast mining will be started and It will cover the entire Dhirauli mining block area. Subsequently, Underground mining is proposed in deeper seams below Opencast workings that may start almost a decade later.</p>

Sl.No	EDS Query	Draft Reply
		<p>Thus, the area under opencast mining and underground mining is fully overlapping. Proposal is not for underground mining only.</p> <p>The component wise breakdown of land is given in section 2.4 of Form-A (Part-1) and KML is also uploaded in Parivesh portal.</p>



## Stratatech Mineral Resources Private Limited

प्रति,

दिनांक : 11.03.2024

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल, सिंगरौली  
जिला- सिंगरौली (म0प्र0)

विषय:- वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैड़न, माड़ा एवं पूर्व सरई के विभिन्न RF वन कक्षों के रकबा 1335.35 हे0 वनभूमि तथा विभिन्न खसरों की रकबा 62.19 हे0 राजस्व वन भूमि कुल 1397.54 हे0 वनभूमि में धिरौली कोल ब्लॉक अन्तर्गत ओपन कास्ट कोयला उत्खनन तथा उपरी सतह उपयोग के व्यपवर्तन का मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्रा.लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/142344/2021।


- संदर्भ:- 1. Letter of Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Forest Conservation Division), New Delhi Dated 02.02.2024.  
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-1/845/2022/10-11 भोपाल दिनांक 06.02.2024।

विषयांतर्गत उपरोक्त संदर्भित पत्र के तारतम्य में जारी EDS का प्रतिउत्तर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त EDS का प्रतिउत्तर टेबुलर फार्म में तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों सहित दो प्रतियों में आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय



प्राधिकृत अधिकारी

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड



Stratatech Mineral Resources Private Limited  
Adani Corporate House, Shantigram,  
S G Highway Ahmedabad 382 421  
Gujarat, India  
CIN: U14290GJ2019PTC110138

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr.Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421

Tel +91 124 255 5555  
Fax +91 79 2555 5500  
Info@adani.com  
www.adanienterprises.com

SI No	Component Name	Area inside (in Ha)		Total Area (Ha.)
		Forest	Non Forest	
1	Excavation Area	1180.14	1028.09	2208.23
2	Safety Zone	10.46	9.61	20.07
3	Green Belt Area	30.97	15.49	46.46
4	Rationalization Area	33.31	38.93	72.24
5	Infrastructure Area	0.00	24.16	24.16
6	OB Dump Area	132.28	149.39	281.67
7	Other uses (Garland Drains)	2.75	2.59	5.34
8	Other uses (Road Diversion)	2.56	1.51	4.07
9	Other uses (Embankment)	5.07	2.43	7.50
10	Other uses (Setting Pond)	0	2.26	2.26
<b>Total Area</b>		<b>1397.54</b>	<b>1274.46</b>	<b>2672.00</b>



Excavation Area		
Name	Area	
RF 377	5.96	
RF 337	9.11	
RF 333	13.95	
RF 354	40.70	
RF 356	1.44	
RF 357	0.29	
RF 360	100.15	
RF 361	228.69	
RF 362	172.43	
RF 363	252.09	
RF 364	123.26	
RF 370	53.64	
RF 371	103.46	
RF 372	4.74	
RF 373	19.90	
Revenue Forest	50.33	
Non Forest	1028.09	
<b>Total</b>	<b>2208.23</b>	

Safety Zone		
Name	Area	
RF 377	0.59	
RF 373	0.91	
RF 372	0.48	
RF 371	0.76	
RF 370	0.50	
RF 364	0.58	
RF 362	0.52	
RF 337	0.97	
RF 353	0.98	
RF 354	1.50	
RF 361	0.20	
RF 356	0.90	
RF 357	0.34	
RF 360	0.92	
RF 359	0.01	
Revenue Forest	0.30	
Non Forest	9.61	
<b>Total</b>	<b>20.07</b>	

Green Belt Area		
Name	Area	
RF 354	8.51	
RF 337	1.47	
RF 370	1.62	
RF 364	3.06	
RF 362	2.89	
RF 353	4.94	
RF 356	3.61	
RF 361	2.67	
RF 357	0.74	
RF 360	1.46	
Revenue Forest	15.49	
Non Forest	0.31	
<b>Total</b>	<b>46.46</b>	

Rationalization Area		
Name	Area	
RF 337	2.08	
RF 354	1.68	
RF 373	3.37	
RF 371	4.42	
RF 377	2.24	
RF 372	1.96	
RF 370	1.14	
RF 363	0.20	
RF 360	9.59	
RF 357	1.42	
RF 362	0.29	
RF 364	0.31	
RF 353	1.04	
RF 356	0.68	
RF 361	0.42	
Revenue Forest	2.47	
Non Forest	38.93	
<b>Total</b>	<b>72.24</b>	

Infrastructure Area		
Name	Area	
Non Forest	24.16	
<b>Total</b>	<b>24.16</b>	

OB Dump Area		
Compartment	Area	
RF 361	19.26	
RF 360	104.14	
Revenue Forest	8.88	
Non Forest	149.39	
<b>Total</b>	<b>281.67</b>	

Embankment		
Compartment	Area	
RF 377	1.71	
RF 373	2.64	
RF 372	0.6	
Revenue Forest	0.12	
Non Forest	2.43	
<b>Total</b>	<b>7.50</b>	


Garland Drains		
Name	Area	
RF 337	0.26	
RF 354	0.40	
RF 370	0.12	
RF 371	0.20	
RF 377	0.16	
RF 373	0.24	
RF 372	0.12	
RF 360	0.25	
RF 357	0.08	
RF 362	0.15	
RF 364	0.14	
RF 353	0.25	
RF 356	0.21	
RF 361	0.08	
Revenue Forest	0.09	
Non Forest	2.59	
<b>Total</b>	<b>5.34</b>	

Road Diversion		
Name	Area	
RF 356	0.45	
RF 357	0.13	
RF 354	0.18	
RF 360	0.80	
RF 353	0.49	
RF 356	0.51	
RF 361	0.13	
Revenue Forest	0.00	
Non Forest	1.51	
<b>Total</b>	<b>4.07</b>	

# MAP SHOWING SINGRAULI DIVISION FOREST AREA AND ELEPHANT CORRIDOR AREA



- Legend**
- DIVISION BOUNDARY
  - Range\_Bound\_Singrauli
  - RAILWAY LINE
  - RIVER
  - ROAD
  - FOREST
  - BLOCK BOUNDARY
  - ELEPHANT CORRIDOR



CHHATISGARH PRADESH

UTTAR PRADESH

Renukot

Pipri

WAISHAN

BARGAWAN

GORVI

CHITRANGI

KARTHUA

SIYAWAN

RAJ (East)

GURU GHASIDAS  
NATIONAL PARK

From Katni

From Sidhi



**OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER GANGA BASIN REA (M.P.)**

(Email id cegangabasinrewa@gmail.com)

Memo No. 2512 /G/W/MP/ 1-48 of 22

Rewa, Date 19-4-22

To,

The Project Head  
Dhirauli Coal Mine (The "Block")  
M/s Stratatech Mineral Resources Pvt.Ltd.(SMRPL)  
Tehsil-Saral District-Singrauli (M.P.)

Sub- No Objection certificate (NOC) and Permission for diversion of Hurdul Nalla for Dhirauli Coal Block which is an Open cast cum Underground mine of 6.5 MTPA (5 MTPA Open Cast & 1.5 MTPA Underground) in Mine Lease Area of 2672 Ha held by M/s Stratatech Mineral Resources Private Limited (SMRPL) located at village Dhirauli, Phatpani, Sirwah, Amdand, Jhalari, Amraikhoh, Basiberdah and Belwar, Tehsil-Saral, District-Singrauli, Madhya Pradesh

Ref- 1 Executive Engineer Water Resources Division No 2 Singrauli letter No.374/W/2022 singrauli  
Dated 09/02/2022  
2 Your letter No SMRPL/HQ/2022/79 Date 03.01.2022

With Reference to above cited subject, there is a Proposal to divert primary streamlet flow of Hurdul Nalla and surface run off water along periphery of mine lease boundary through construction of Catch drain. The peak flood discharge of Hurdul watershed is 702m<sup>3</sup>/s and the proposed diversion of Hurdul Nalla trench will be having a length of 6900 meters. The average hydraulic gradient of the diverted trench will be 1:100 and the garland drain/catch drain will be constructed in trapezoid shape with dimension of 1.5H:1 side length and floor width of 4m, 3 meters water depth and 2m free board.

Based on the above technical justification, the Detailed Project Report (DPR) is approved and subsequently No objection certificate (NOC) & Permission/Approval has been issued for DIVERSION OF HURDUL NALLA for Dhirauli Coal Mine (The "Block") with following condition:

- 1 Diversion of Hurdul Nalla will be carried out by M/s SMRPL under supervision of office of the Chief Engineer, Ganga Basin, Rewa, Madhya Pradesh.
- 2 During monsoon period surface runoff should pass through sedimentation tank to arrest debris and Total suspended solids (TSS) before water is discharged into Hurdul Nalla.
- 3 During Non-monsoon period mine seepage water should be treated to the extent of BIS standard for drinking water (IS10500-2012) before discharging into Hurdul Nalla.
- 4 All expenditure on account of construction of catch drain will be borne by Company.
- 5 The land acquisition for construction of catch drain belonging to either Govt. or Private will be responsibility of Company.
- 6 Permission from forest department and other departments will be responsibility of company.


Encl-One Copy of DPR

End No 2513 /G/W/MP/ 1-48 of 22

Copy forwarded to:


Executive Engineer Water Resources Division No.2 Singrauli (M.P.) for information.

Encl-Nil.

  
(C. M. Tripathi) 19-4-2022  
Chief Engineer

Ganga Basin Rewa (M.P.)

Rewa Dated 19-4-22

  
(C. M. Tripathi) 19-4-2022  
Chief Engineer

Ganga Basin Rewa (M.P.)



# Stratatech Mineral Resources Private Limited

Ref No- SMRPL/FC/2024/01

Date:- 11-03-2024

## Note on Coal Dispatch from Dhirauli Coal Mine

Dhirauli coal block in Singrauli coalfield, in the state of Madhya Pradesh has been allotted to M/s Startatech Mineral Resources Private Limited(SMRPL) vide letter no NA-104/7/2020-NA dated 03.03.2021 by the Ministry of Coal.


The block is accessible by the road from Singrauli as well as from Waidhan.

### **Coal Transportation Pathway:**

1. Coal that will mined out from this block will be transported using the existing road of "Suliyari-Khanuakhas-Rajmilan" To Gajra behra railway siding & also to the Adani Power Plant (MEL) in Bandhaura. The KML and plan of the transportation route is attached with this letter.
2. A new Belt conveyor is being planned from Dhirauli Coal Block to Adani Power Plant in Bandhaura.

Attachment- KML of Coal transportation route  
Plan of Coal transportation route

**Authorized Signatory**



(Mr. Bacha Prasad)

Chief of Cluster- Singrauli

**Stratatech Mineral Resources Private Limited**

Stratatech Mineral Resources Private Limited  
Adani Corporate House, Shantigram,  
S G Highway Ahmedabad 382 421  
Gujarat, India  
CIN:

U14290GJ2019PTC110138

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr.Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421


Tel +91 124 255 5555

Fax +91 79 2555 5500

Info@adani.com

www.adanienterprises.com





# Conveyor for Dhirauli Coal Block


ADANI POWER PLANT



## LEGEND

CONVEYOR	
----------	--

DHIRAULI COAL BLOCK





## Stratatech Mineral Resources Private Limited

क्रमांक : एस.एम.आर.पी.एल. / 2024 / 02

दिनांक : 11.03.2024

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी महोदय

जिला- सिंगरौली (म0प्र0)

विषय - धिरौली कोल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बासी बेरदह के वनाधिकार पट्टाधारियों के संदर्भ में।

महोदय,

विषयांगत लेख है कि स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड को आबंटित धिरौली कोल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बासी बेरदह के 60 वनाधिकार पट्टाधारियों में से 49 वनाधिकार पट्टेधारी धिरौली कोल ब्लॉक से प्रभावित हैं, जिसका कुल रकवा 49.343 हे0 है।

उक्त के संबंध में विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

धन्यवाद!

भवदीय



(बच्चा प्रसाद)

प्राधिकृत अधिकारी

स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सस प्राइवेट लिमिटेड

Stratatech Mineral Resources Private Limited

Adani Corporate House, Shantigram,

S G Highway Ahmedabad 382 421

Gujarat, India

CIN:

U14290GJ2019PTC110138

Regd Office: "Adani Corporate House", Shantigram, Nr. Vaishnodevi, S. G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad - 382421

Tel +91 124 255 5555

Fax +91 79 2555 5500

Info@adani.com

www.adanienterprises.com



ग्राम बासीवेदहा में प्रदाय वन अधिकार पत्रों की सूची

क्र.	प.क्रमांक	ग्राम पंचायत	ग्राम	दावेदार का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	कक्ष क्रमांक	प्लॉटसंख्या	रकबा हे.	वनमित्र का दावा क्रमांक
1	10643	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रामसिंह	माधव सिंह	गोंड	RF 354	1	0.564	
2	10644	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	धनपत	जगदीस सिंह	गोंड	RF 362	1	2.523	
3	10645	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रामसिंह	नारायण	गोंड	RF 365	1	0.727	
4	10646	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	सुदर्शन सिंह	देवकरन	गोंड	RF 362	1	1.000	
5	10647	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	लालबहीदुर	फिरंगी	गोंड	RF 362	1	1.879	
6	10648	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	जीवनप्रसाद	पूरन	पनिका	RF 361	3	0.884	
7	10649	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	नन्दलाल	जगत सिंह	गोंड	RF 362	1	0.998	
8	10651	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रामकिसुन	देवीदयाल	वियार	RF 361	1	1.532	
9	10652	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	सुकवरिया	रामपियारे	खैरवार	RF 364	1	0.578	
10	10653	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	सुग्रीव सिंह	रामधन	गोंड	RF 361	1	0.384	
11	10654	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	शिवप्रसाद	हीरालाल	खैरवार	RF 361	1	0.840	
12	10655	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	श्रीलंका सिंह	जागवली	गोंड	RF 361	2	1.055	
13	10656	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	सूर्यभान	अमृत सिंह	गोंड	RF 361	1	0.850	
14	10657	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	सीताराम	शिवनाथ	गोंड	RF 354	1	0.618	
15	10658	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	श्यामलाल	छोटेलाल	बैगा	RF 362	1	0.653	
16	10659	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रामचरन	छन्नार	बैगा	RF 362	1	1.696	
17	10660	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	बुद्ध	बैजनाथ	गोंड	RF 361	2	1.668	
18	10662	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	हीरासिंह	जैलन	गोंड	RF 361	1	1.665	
19	10663	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	महिपाल	महेश्वर	गोंड	RF 361	1	0.813	
20	10664	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	लक्षई	बेजू	गोंड	RF 362	1	2.128	
21	10665	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	अर्जुन सिंह	रूपसाह	गोंड	RF 361	1	0.756	
22	10666	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रंगदेव	बैजनाथ	गोंड	RF 365	1	0.953	
23	10667	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	विफुन सिंह	दलवीर	गोंड	RF 354	1	0.446	
24	10668	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	बंशपति	जगदीश	गोंड	RF 362	1	1.520	
25	10669	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	उमरपाल	अमृतसिंह	गोंड	RF 361	2	1.206	
26	10670	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	पृथ्वीपाल	अमृत सिंह	गोंड	RF 361	1	0.983	
27	10671	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रामजंतन	रामऔतार	वियार	RF 361	1	0.723	
28	10672	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	इन्द्रपाल	अम्मर सिंह	गोंड	RF 361	1	0.692	
29	10673	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	रनमत सिंह	रामलक्षिमन	गोंड	RF 362	1	0.613	
30	10674	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	मुन्नीलाल	छतरपाल	बैगा	RF 361	1	0.498	
31	10675	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	बुधलाल	ठाकुरदीन	बैगा	RF 361	1	1.422	
32	10676	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	जमाहिर	रामदयाल	बैगा	RF 361	2	3.076	
33	10677	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	झगड़	मुरली	बैगा	RF 361	2	1.041	
34	10678	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	धीरसाह	मुरली	बैगा	RF 362	1	1.175	
35	10680	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	जागवली	मगलू	बैगा	RF 361	1	1.048	
36	10681	मझौलीपाठ	बासीबैरदह	गिरदायल	रामदयाल	बैगा	RF 361	1	0.727	

*(Handwritten signature)*



क्रमांक	ग्राम पंचायत	ग्राम	दावेदार का नाम	पिता/पति का नाम	जाति	कक्ष क्रमांक	प्लॉटसं ख्या	रकबा है.	वर्नामित्र का दावा क्रमांक
10682	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	हरमंगल	राजगु	गोंड	RF 354	1	1.174	
10683	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	धनीरिंह	बलिराम	गोंड	RF 354	1	0.363	
10684	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	रामबदन	धुरउ	गोंड	RF 354	1	0.255	
10685	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	माधय रिंह	मिताम	गोंड	RF 354	1	0.833	
10686	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	अम्वर रिंह	रघुनाथ	गोंड	RF 361	1	0.687	
10687	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	नार्गल रिंह	बलराम	बैगा	RF 354	2	0.023	
10688	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	रामप्रसाद	धुरउ	गोंड	RF 354	1	0.334	
10689	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	अहियरन	जागवली	गोंड	RF 354	1	0.841	
10690	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	लखपति	मंगल सिंह	गोंड	RF 354	2	1.670	
10691	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	राम सिंह	जगधारी	गोंड	RF 354	1	0.643	
10692	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	लल्लू	जयपाल	बैगा	RF 357	1	1.706	
10693	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	जयलाल	छनार	बैगा	RF 357	2	1.128	
10694	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	पीरू	रामलाल	बैगा	RF 357	2	1.192	
10695	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	मनफेर	जयलाल	बैगा	RF 357	2	1.299	
18871	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	लखपति	लीरथ	बैगा	RF 361	1	0.390	
18872	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	रामसुन्दर	बलराम	बैगा	RF 357	2	1.034	
10679	मझौलीपाठ	वांसी वैरदह	छोटेलाल	बलदेव	बैगा	RF 362	1	0.696	
10696	मझौलीपाठ	वांसी वैरदह	नानदाउ	जयलाल	बैगा	RF 357	1	1.049	
10697	मझौलीपाठ	वांसी वैरदह	बालमुकुन्द	ददई	गोंड	RF 357	1	0.077	
10650	मझौलीपाठ	वांसी वैरदह	रामनारायण	पूरन	पनिका	RF 361, 362	1	0.959	
10661	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	नागेन देवी	धीरसाह	बैगा	RF 361	1	4.000	
23997	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	लक्ष्मधारी	रामसुन्दर अगरिया	अगरिया	RF 362	1	0.628	
20757	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	श्री नेपाल सिंह	नन्दलाल सिंह	गोंड	PF 284	2	1.866	NI50404500006
20755	मझौलीपाठ	वासीवैरदह	अजमर सिंह	मोहन सिंह	गोंड	RF 361	1	0.795	NI50404500007

  
 सहायक आयुक्त 3/12/22  
 जनजातीय कार्य विभाग, सिंगरीली





ग्राम बासीबेरदाह, तहसील सरई, जिला -सिंगरौली में वितरित किये गये वनाधिकार पत्रों की सूची

क्रमांक	नाम/पति का नाम	जाति	कक्ष क्रमांक	रकबा (हे० में)	रिमार्क
1	राम सिंह पिता- माधव सिंह	गोंड़	354	0.564	House
2	जीवन प्रसाद पिता- पूरन	पनिका	361	0.884	HOUSE
3	नन्दलाल पिता- जगत सिंह	गोंड़	362	0.998	HOUSE
4	रामनारायण पिता- रामपियार	गोंड़	362	1.783	HOUSE
5	रामकिसुन पिता- देवीदयाल	बियार	361	1.532	HOUSE
6	सुकवरिया पत्नी- रामपियारे	खैरवार	364	0.578	LAND ONLY
7	सुग्रीव सिंह पिता- रामधन	गोंड़	361	0.384	LAND ONLY
8	श्री लंका सिंह पिता- जगबली	खैरवार	361	1.055	LAND ONLY
9	सुर्यभान पिता- अमृत सिंह	गोंड़	361	0.85	LAND ONLY
10	सीताराम पिता- शिवनाथ	गोंड़	354	0.618	House
11	श्यामलाल पिता- छोटेला	बैगा	362	0.653	House
12	रामचरण पिता- छत्तर	बैगा	362	1.696	Land Only
13	बुद्ध पिता- बैजनाथ	गोंड़	361	1.668	LAND ONLY
14	हीरा सिंह पिता- जयकरन	गोंड़	361	1.665	House
15	महिपाल पिता- महेश्वर	गोंड़	361	0.813	House
16	लंघई पिता- बेजू	गोंड़	362	2.128	House
17	अर्जुन सिंह पिता- रूपसाह	गोंड़	361	0.756	LAND ONLY
18	रंगदेव पिता- बैजनाथ	गोंड़	365	0.953	LAND ONLY
19	विफुन सिंह पिता- दलवीर	गोंड़	354	0.446	House
20	कुंवरपाल पिता- अमृत सिंह	गोंड़	361	1.206	LAND ONLY
21	पृथ्वीपाल पिता- अमृत सिंह	गोंड़	361	0.983	LAND ONLY
22	रामजतन पिता- रामऔतार	बियार	361	0.723	HOUSE
23	इन्द्रपाल पिता- अम्मर सिंह	गोंड़	361	0.692	LAND ONLY
24	रनमत सिंह पिता- रामलक्ष्मिन	गोंड़	362	0.613	Land Only
25	मुन्नीलाल पिता- छत्तरपाल	बैगा	361	0.498	HOUSE
26	बुधलाल पिता- ठाकुरदीन	बैगा	361	1.422	HOUSE
27	जमाहिर पिता- रामदयाल	बैगा	361	3.076	HOUSE

28	जगडसाय पिता- मुरली	बैगा	361	1.041	HOUSE
29	धीरसाह पिता- घुरी	बैगा	362	1.175	HOUSE
30	जागबली पिता- मंगलू	बैगा	361	1.048	HOUSE
31	गिरदावल पिता- रामदयाल	बैगा	361	0.727	HOUSE
32	हरमंगल पिता- सरजू	गोंड	354	1.174	HOUSE
33	धनीसिंह पिता- बलिराम	गोंड	354	0.363	LAND ONLY
34	रामबदन पिता- घुरउ	गोंड	354	0.255	LAND ONLY
35	माधव सिंह पिता- मितन	गोंड	354	0.833	LAND ONLY
36	अम्बर सिंह पिता- रघुनाथ	गोंड	361	0.687	LAND ONLY
37	नार्मल सिंह पिता- बलराम	बैगा	354	0.023	LAND ONLY
38	रामप्रसाद पिता- घुरउ	गोंड	354	0.334	House
39	अहिवरन पिता- जागवली	गोंड	354	0.841	Land Only
40	लखपति पिता- मंगल सिंह	गोंड	354	1.67	LAND ONLY
41	राम सिंह पिता- जगधारी	गोंड	354	0.643	LAND ONLY
42	लखपति पिता- तीरथ	बैगा	361	0.39	LAND ONLY
43	छोटेलाल पिता- सहदेव	बैगा	362	0.696	LAND ONLY
44	रामनारायण पिता- पूरन	पनिका	362	0.959	HOUSE
45	नागेन पिता- धीरसाह	बैगा	362	4	LAND ONLY
46	अजमेर सिंह पिता-मोहन सिंह	गोंड	361	0.795	LAND ONLY
47	जयपाल पिता-नन्दलाल	गोंड	361	1.866	HOUSE
48	जनक सिंह पिता-बैजनाथ	गोंड	361	0.314	LAND ONLY
49	मोति सिंह पिता-बैजनाथ	गोंड	361	0.272	LAND ONLY
			<b>Total</b>	<b>49.343</b>	





## कार्यालय कलेक्टर, जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक /2244/भू-अर्जन/22

सिंगरौली, दिनांक 28/11/2022

प्रति,

कलस्टर हेड,  
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड  
जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

विषय :- मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत अनुमोदित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति प्रेषित किये जाने बावत्।

-00-

विषयान्तर्गत लेख है कि सिंगरौली जिले में स्थापित मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत जारी भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति को संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न - कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित पुर्नवास नीति।

पु० क्र०/2245/भू-अर्जन/22

संयुक्त कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म०प्र०)

दिनांक 28/11/2022

प्रतिलिपि -

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग देवसर को अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति की 1 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा कराने हेतु।
2. जिला इ-गवर्नेंस मैनेजर कलेक्ट्रेट सिंगरौली को यह अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति की प्रति कलेक्ट्रेट सिंगरौली की वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
3. तहसीलदार तहसील सरई की ओर सूचनार्थ।
4. जनसंपर्क अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव ग्राम पंचायत झलरी/मझौलीपाठ की ओर सूचनार्थ एवं सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
6. जिला नाजिर जिला सिंगरौली की ओर कार्यालय की सार्वजनिक सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।

संयुक्त कलेक्टर  
हेतु कलेक्टर  
जिला सिंगरौली (म०प्र०)



धिरौली कोल माइन परियोजना,  
(मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनेरल्स रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड)  
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)  
के लिए

पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन नीति  
धारा 11 अधिसूचना दिनांक 15/02/2022

  
Page 1 of 9



**पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति**  
**धिरौली कोल माइन परियोजना**  
**प्रस्तावना**

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की तहसील सरई में स्थित धिरौली कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय के पत्र क्र. NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को धिरौली कोल ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

धिरौली कोल माइन परियोजना हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

धारा-4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना - दिनांक 02.08.2021


धारा-11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना - दिनांक 15.02.2022

सिंगरौली जिले में एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइन परियोजना एवं टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए भी भू-अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमशः वर्ष 2018 एवं 2019 में म0प्र0 की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में समाविष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति का अनुमोदन माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। अतः एपीएमडीसी की सुलियरी कोल माइन की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2018 एवं टीएचडीसी की अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास नीति 2019-20 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विस्थापितों के प्रतिकर सुविधाओं में समानता लाने हेतु धिरौली कोल माइन परियोजना के लिए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति तैयार की गई है, जो अनुमोदन के दिनांक से प्रभावशील हो जायेगी।

धिरौली कोल ब्लॉक, मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड परियोजनान्तर्गत तहसील सरई के अंतर्गत परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल निजी भूमि का अर्जित रकबा हे. में
1	सरई	आमडाड	5.17
2	सरई	सिरसवाह	0.62
3	सरई	बेलवार	11.60
4	सरई	बासीबेरदाह	147.67
5	सरई	अमरईखोह	43.056
कुल योग			208.116

उपरोक्तानुसार धिरौली कोल ब्लॉक परियोजना (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड) हेतु निजी भूमि अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

  
Page 2 of 9




## पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

### भाग-1

#### परिभाषाएँ-

01. कम्पनी-कम्पनी से तात्पर्य मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड धिरौली कोल माइन परियोजना जिला सिंगरौली से है।
02. प्रभावित क्षेत्र-प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गाँव या बस्ती से है जिसमें परियोजना स्थापित करने के लिए निजी, शासकीय एवं वन भूमियों का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया गया हो या सीधे भूमि स्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित या वन भूमियों का व्यपवर्तन किया गया हो, किन्तु जो भू-भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा में चिह्नित किया गया हो।
03. विस्थापित व्यक्ति - कोई व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 15.02.2022 के 03 वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो, विस्थापित व्यक्ति कहलायेगा। किन्तु यदि कम्पनी द्वारा भूमिस्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू-अर्जन नहीं किया गया है तो भूमि की रजिस्ट्री दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाषा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।
04. विस्थापित परिवार -
- (क)-उपरोक्त (कण्डिका 3 में) परिभाषित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमें पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ-विधवा माँ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता-पिता शामिल हैं।
- (ख)-विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं माई जो धारा 11 की दिनांक 15.02.2022 को बालिग (18 वर्ष या ऊपर) हो गया है वह पृथक परिवार के रूप में माना जावेगा।
- (ग)- परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिग बच्चों (जिनके माता-पिता न हों) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।
05. भू-विस्थापित परिवार -
- ऐसा भूमि स्वामी जिसकी निजी भूमि के अर्जन हेतु एवार्ड पारित किया गया हो या उनकी निजी भूमि परियोजना हेतु क्रय की गई हो, उसका परिवार भू-विस्थापित परिवार कहलायेगा, चाहे वह अर्जन क्षेत्र में निवास कर रहा हो या नहीं। वारिसाना नामान्तरण से बने दिनांक 15/02/2022 को बालिग भूमि स्वामियों को भी अलग भू-विस्थापित परिवार माना जायेगा।
06. प्रभावित व्यक्ति-
- ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15.02.2022 के पूर्व 03 वर्ष से भूमि पर खेती कर रहा हो या अन्य उद्यमों द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो और उस ग्राम में अस्थाई/स्थायी रूप से निवास करता हो।
07. प्रभावित परिवार-
- उपयुक्त (कण्डिका 06) में परिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमें पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ-विधवा माँ, पतिव्यक्ता, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता-पिता शामिल हैं।

  
Page 3 of 9



08. विस्थापन दिनांक - प्रत्येक विस्थापित परिवारों को रिहायसी मकान खाली कर अधिग्रहित/आवंटित/व्यपवर्तित भूमि का भौतिक आधिपत्य पूर्ण रूप से कम्पनी को सौंपने के दिनांक को विस्थापन दिनांक माना जायेगा।

09. परियोजना के प्रभावितों की श्रेणी-

(क)-ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र में लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम में स्थाई या अस्थायी रूप से निवास नहीं कर रहा हो और भू-अर्जन में उसकी पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो।

(ख)-ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान में स्थाई रूप से ग्राम में निवास कर कोई लघुउद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।

(ग)-ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम में निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(घ)-ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नहीं करते किन्तु उस ग्राम में निवास कर कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

(ङ0)-ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम में अस्थायी रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नहीं करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

10. पुनर्वास अनुदान की शर्त-कण्डिका 09 में वर्गीकृत प्रभावित परिवार, यदि उक्त में से एक या एक से अधिक श्रेणी में आते हैं तो उन्हें एक ही श्रेणी से प्रभावित मान कर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेतु पात्र समझा जावेगा।

11. रिहायशी मकान : रिहायशी मकान से तात्पर्य वैसे मकान से है जिसमें कोई परिवार या व्यक्ति स्थायी रूप से भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि 15.02.2022 के तीन वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो।

## भाग-2

### (व्यक्तिगत लाभ)

01. पुनर्वास अनुदान-

पुनर्वास अनुदान के रूप प्रत्येक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के उपरान्त) विस्थापन उपरान्त 300 कार्य दिवस की मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

02. (अ-1)-मकान/प्लॉट का आवंटन - परियोजना से विस्थापित परिवार को 90X60 वर्गफुट का प्लॉट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम जटठाटोला तहसील सरई में दिया जावेगा, जिसमें कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा। यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नहीं लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 6.00 लाख ₹0 कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी में प्लॉट नहीं लेना चाहता है तो उसे प्लॉट के बदले 2.50 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार प्लॉट एवं मकान दोनों नहीं लेना चाहता है तो उसे प्लॉट के बदले 2.50 लाख ₹0 एवं मकान के बदले 6.00 लाख ₹0, कुल मिलाकर 8.50 लाख ₹0 देय होगा।



(अ-2)-कैटल शैड/छोटी दुकान हेतु अनुदान - पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम 75,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ब) प्लॉट का स्वत्वाधिकार-पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहित प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमिस्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होंगे एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. विस्थापन कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च - प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेलू सामान व परिवार तथा पशुओं के दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त राशि रुपये 60,000.00/- (साठ हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
05. वृद्धावस्था पेंशन-प्रत्येक विस्थापित महिला एवं पुरुष सदस्य जिसकी उम्र विस्थापन दिनांक को 60 वर्ष की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह 2000.00 (दो हजार) रु० की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आजीवन अथवा धिरौली कोल ब्लॉक बन्द होने तक दिया जावेगा (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा)।
06. शिक्षा एवं छात्रवृत्ति- परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चों के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में कसूया जावेगा। इस विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 10+2 स्तर तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम(सीबीएसई बोर्ड एवं डी.पी.एस. स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष) से अध्ययन हेतु विद्यालय संचालित किया जायेगा तथा अध्ययन करने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, एवं विस्थापित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्सोहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी-

कक्षा	बालक	बालिका
नर्सरी से 12 तक	700	900

10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 50,000 रु० दिया जावेगा।

#### 07. चिकित्सा सुविधा-

कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच. सी) संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय में परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

#### 08. महुआ एवं तेन्दू पत्ता संग्रहण भत्ता-

प्रत्येक विस्थापित परिवार जो महुआ या तेन्दूपत्ता का संग्रहण करके अथवा अन्य वनोपज/वनाधिकार से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, जिसकी पुष्टि वनविभाग द्वारा जारी किये गये समुचित दस्तावेजों से होती है उसे तो न्यूनतम 500 कार्य दिवसों की मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से परिगणित राशि जो रु० 100000.00 (एक लाख) से कम नहीं होगी, एक मुश्त देय होगी।






**09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति—**

क. प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार में, रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितों को परियोजना क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार उपलब्ध कराये जाने में प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना में रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करावेंगे। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा समय-समय पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्थल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाये जावेंगे ताकि परियोजना से विस्थापित परिवारों की कुशलता का विकास हो सके एवं उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर एवं परियोजना में रोजगार मिल सके।

भू अर्जन के विरुद्ध रोजगार देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं, जिनकी भूमि का अर्जन परियोजना हेतु किया जा रहा है तो ऐसे विस्थापित परिवार के सदस्यों में से परिवार के मुखिया द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार देने में प्राथमिकता दिया जायेगा। तथा इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य में प्रचलित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**ख. रोजगार/नौकरी की व्याख्या—**

रोजगार/नौकरी से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित परिवार को परियोजना में या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के माध्यम से सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भांती नियमित कटौती किया जाता है। यह नौकरी कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के नियमानुसार होगा।

ग. यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी में नहीं लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नहीं करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए ₹0 6.00 लाख (₹0 छः लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान या फिर 2800/- (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

**घ. बेरोजगारी भत्ता—**

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तत्कालिन प्रचलनशील न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW) के मान से परिगणित राशि, जो कि ₹0 7200/- प्रति माह से कम नहीं होगा, दिया जावेगा। यदि परिवार के मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। किन्तु यह बेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक देय होगा, बसते उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य को स्वरोजगार के लिए कम्पनी द्वारा ₹0 6.00 लाख एक मुश्त राशि या 2800/- (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक का शुरुआत नहीं किया गया हो।

**ङ. रोजगार व नौकरी के विकल्पो का चयन —**

यदि कोई विस्थापित व्यक्ति कंडिका घ में उल्लिखित रोजगार/नौकरी के एवज में बेरोजगारी भुगतान की शुरुआत पश्चात रोजगार/नौकरी के एवज में एक मुश्त देय राशि के विकल्प का चयन करता है तो वैसी स्थिति में कम्पनी द्वारा एक मुश्त राशि के भुगतान दिनांक तक भुगतान की गयी बेरोजगारी भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।

च. विस्थापितों को प्रशिक्षण— कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितों के लिए निःशुल्क औद्योगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आयोजित कराये जावेंगे, तथा प्रशिक्षित विस्थापितों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक सदस्य को 1000/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

  
Page 6 of 9



10. स्वयं का रोजगार— कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकशित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगे।

क. विस्थापित परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कार्य में लगाया जावेगा।

ख. कम्पनी के आवश्यकतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनो को कम्पनी के कार्य में लगाये जाने में प्राथमिकता दी जावेगी।

ग. पुनर्वास ग्राम जटठाटोला तहसील सरई में निर्मित की गई दुकानो का आवंटन विस्थापित परिवारो को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानो का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई, दूध ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानो के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानो में से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम में निम्न वर्गों में आन्तरिक आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लॉटरी निकाल कर किया जायेगा। उक्त आवंटन 03 वर्ष तक किया जायेगा। 03 वर्ष बाद पुनः आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटिती को स्वयं दुकान का संचालन करना पड़ेगा, अन्य को अन्तरित नहीं कर सकेगा। आवंटिती द्वारा दुकान के दुरुपयोग पर आवंटन निरस्त किया जायेगा। दुकान आवंटन का प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :-

1. महिला द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह (सभी वर्गों के लिए)।

2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गों के लिए)।

3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।

4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।

6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गों के लिए)।

7. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त कमांक 01 से 07 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लिए पात्र कई व्यक्तियों के आवेदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. श्रमकारी ठेका समितियों का गठन — श्रम ठेका समितियों का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना की आवश्यकतानुसार छोटे निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जाने में इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व-रोजगार समिति एवं समूहो के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियों के द्वारा कराया जायेगा।

जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा, जिसके आधार पर ऐसी समिति को परियोजना में कार्य दिया जा सकेगा।

12. मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट —

परियोजना से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कंडिका (29.3) के तहत विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा।



पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी जाने वाली सुविधाएँ

01. विस्थापितों के लिए चयनित ग्राम जट्टाटोला तहसील सरई में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनों के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाएँ विस्थापितों को उपलब्ध कराई जावेगी :-
- (क) विद्यालय भवन- पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्वसुविधा युक्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को खेलने के लिए खेल के उपकरणों सहित खेल के मैदान की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय में हर वर्ष 50000/-रु० (पचास हजार) फण्ड दिया जायेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने में किया जायेगा।
- (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- कम्पनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्टाटोला तहसील सरई में 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय में परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ग) सामुदायिक भवन- पुनर्वास कालोनी के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार गृह सम्मिलित होगा।
- (घ) हाट बाजार परिसर- विस्थापितों के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्गमीटर परिमाण की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। साप्ताहिक बाजार में लाइट, चबूतरा, टीनशेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की जगह रहेगी।
- (ङ) सार्वजनिक खेल का मैदान- विस्थापितों के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए 10,000 वर्गमीटर (01 हे०) के परिमाण में भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। शौचालय एवं आर०ओ० प्लांट लगेगा। स्कूल में खेलकूद हेतु 20,000 रु० का फण्ड प्रति वर्ष दिया जावेगा।
- (च) शुद्ध पेय जल व्यवस्था- विस्थापितों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नहीं होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैंडपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (छ) उचित मूल्य की दुकान- विस्थापितों को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचितमूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी।
- (ज) ऑगनवाड़ी केन्द्र- विस्थापित परिवारों के बच्चों, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं, के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
- (झ) मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना - पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवश्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजा घर का निर्माण कराया जावेगा।
- (ञ) सड़क- विस्थापितों के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया जावेगा।
- (ट) सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)- विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों को विद्युत से प्रकाशित किया जायेगा।
- (ठ) जल प्रभाव के लिए पक्की नालियाँ- विस्थापितों की कालोनी में बने हुए आवासीय मकानों की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जायेगा।
- (ड) श्मशान/कब्रिस्तान परिसर- विस्थापितों के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति के अनुसार श्मशान/कब्रिस्तान का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें पानी की व्यवस्था एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

*Handwritten signature*  
Page 8 of 9



नोट :- परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएं तथा रोड पंचायत भवन इत्यादी ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

(ढ) शौचालयों की व्यवस्था- पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौचालयों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है तथा सभी सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, ऑगनवाड़ी, हाट बाजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक सामूहिक शौचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

02. विशेष पैकेज- परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्ष पूर्व से खेती करता चला आ रहा है, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम में मकान बनाकर आवास नहीं है, जिसकी प्रमाणिकता वर्ष 2018-2019 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विशेष पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जावेगा:-

क- 0.01 से 0.99 हे० भूमि पर	-	रु० 1500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ख- 1.00 हे० से 1.99 हे० भूमि पर	-	रु० 2000 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ग- 2.00 हे० से 3.99 हे० भूमि पर	-	रु० 2500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
घ- 4.00 हे० से ऊपर	-	रु० 3000 प्रति परिवार प्रतिमाह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जायेगा। किन्तु उपरोक्त विशेष लाभ उस परिवार को देय नहीं होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार में नियोजित है। विशेष पैकेज हेतु पात्र व्यक्ति के रकबे का निर्धारण अवार्ड में अंकित रकबे से किया जायेगा।


#### भाग-4

##### विवादो का निपटारा-

यदि किसी प्रकरण में विस्थापन की पात्रता के निर्धारण या विस्थापन से संबंधित अन्य किसी मामले में विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जावेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। कलेक्टर का आदेश अन्तिम एवं उभयपक्ष पर बाध्यकारी होगा।



राजीव रंजन मीना  
कलेक्टर  
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)



बच्चा प्रसाद  
कलस्टर हेड  
स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस  
प्राइवेट लिमिटेड  
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)